भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2080

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

जमुई में घरों के विद्युतीकरण की स्थिति

†2080. श्री अरुण भारतीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जमुई संसदीय क्षेत्र के आदिवासी टोलों के सभी घरों के विद्युतीकरण की स्थिति क्या है;

(ख) जमुई संसदीय क्षेत्र में सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गहन वन क्षेत्रों में घरों को बिजली प्रदान करने के लिए ऑफ-ग्रिड सौर समाधान का उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में 24x7 विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता की स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का अंतिम छोर के गांवों में विद्युत गुणवत्ता और वोल्टेज सुधारने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : चूँकि, विद्युत एक समवर्ती विषय है, अतः सभी उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार राज्यों के प्रयासों में विभिन्न स्कीमों के माध्यम से सहयोग प्रदान करती है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

राज्यों/यूटी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक कर दिया गया था। वर्ष 2014 में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जिसमें जमुई संसदीय क्षेत्र के 1,723 गांव शामिल हैं। राज्यों/यूटी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई तथा इसके पश्चात् अक्तूबर, 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 तक सभी इच्छुक परिवारों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया गया।

सौभाग्य अवधि में कुल 2.86 करोड़ परिवारों का विद्युतीकरण किया गया, जिसमें जमुई संसदीय क्षेत्र के 1,11,512 परिवार शामिल हैं, जिनमें से 1,393 परिवारों का विद्युतीकरण ऑफ-ग्रिड माध्यम से किया गया। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

वर्ष 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, जहां भी व्यवहार्य पाया गया हो, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के घरों सहित प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) घर, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति (एसटी) घर, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) घरगैर-विद्युतीकृत घरों के लिए ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 6,521 करोड़ रुपये की लागत से 13.65 लाख घरों के विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें जमुई संसदीय क्षेत्र के 1,393 घर शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, नई सौर ऊर्जा स्कीम के अंतर्गत पीएम-जनमन तथा डीए-जेजीयूए के तहत 10 राज्यों में क्रमशः 8,823 पीवीटीजी घरों तथा 4,099 जनजाति घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 11,106 पीवीटीजी एवं जनजाति घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

भारत सरकार सभी परिवारों के विद्युतीकरण हेतु राज्यों को सहयोग प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। चूंकि शेष परिवार मुख्यतः दूरस्थ, पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण मानकों में शिथिलता प्रदान की गई है तथा विद्युतीकरण लागत की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है। संशोधित मानकों के अनुसार जहां भी व्यवहार्य हो, ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) और (ङ) : विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारक सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

भारत सरकार ने विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधि आवंटन के माध्यम से वितरण अवसंरचना के उन्नयन एवं निर्माण को प्रोत्साहित किया है। इसमें डीडीयूजीजेवाई, एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) तथा सौभाग्य की पूर्ववर्ती स्कीमों के अंतर्गत लगभग 1.85 लाख करोड़ रुपये के कार्य शामिल हैं। वर्तमान में आरडीएसएस के अंतर्गत 1.53 लाख करोड़ रुपये की वितरण अवसंरचना परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 270 करोड़ रुपये जमुई संसदीय क्षेत्र के लिए हैं।

यह परिकल्पना की गई है कि वितरण यूटिलिटी की वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार के साथ-साथ स्वीकृत अवसंरचना कार्यों, जैसे- उपकेंद्रों का उन्नयन, वितरण ट्रांसफॉर्मर का निर्माण/उन्नयन, नए उपकेंद्रों की स्थापना, कृषि फीडर पृथक्करण, नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, केबलिंग कार्य आदि से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार होगा। इन कार्यों एवं विभिन्न सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में औसत दैनिक विद्युत आपूर्ति दिसंबर, 2025 में बढ़कर 22.6 घंटे हो गई है।

****